बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या–03/2024 (पद–निजी सहायक एवं आशुलिपिक)

1. बिहार विधान सभा सचिवालय में निजी सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण (कम्प्यूटर आधारित) जांच **दिनांक 22.09.2025** को परीक्षा केन्द्र– **Sangam IT Point, R.P. Complex, Near Vijay Singh Yadav Path, Near Tribhuvan School Road, Saguna Khagaul Road, Danapur-801105** में निम्न प्रकार से आयोजित की जायेगी:–

	आशुलिपिक	निजी सहायक
Reporting Time	09:30 A.M.	12:30 P.M.
Gate Closure Time	10:30 A.M.	01:30 P.M.
Exam Start Time	11:00 A.M.	02:00 P.M.
Exam End Time	12:00 P.M.	03:00 P.M.

2. उक्त पद के लिए **दिनांक 19.09.2025 से** अभ्यर्थियों का प्रवेश–पत्र बिहार विधान सभा की वेबसाईट ***https://vidhansabha.bihar.gov.in/*** पर उपलब्ध रहेगा।

अभ्यर्थियों को डाक से (By Post) प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

3. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर मात्र ब्लू/बॉल पेन, प्रवेश–पत्र (Admit Card) एवं पहचान–पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे तथा Admit Card पर अंकित अनुदेश का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
4. **परीक्षा केन्द्र में घड़ियाँ, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएँ, इलेक्ट्रोनिक्स गैजेट्स यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन–बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री परीक्षा–कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्व कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।**
5. अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
6. अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
7. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना परीक्षा–कक्ष से बाहर जाता है तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जायेंगे।
8. प्रवेश–पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। प्रवेश–पत्र निर्गत होने से अभ्यर्थी की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाहय व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या–0612–2215709 तथा ई–मेलः secretarybvs@gmail.comपर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

18/09/25

अवर सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।